छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर दिनांक

क्रमांक एफ 20-95/2004/11/6:- राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2004 से प्रभावी **"छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004"** निम्नानुसार लागू करता है ।

1 **परिचय**

औद्योगीकरण को गति प्रदान कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, राज्य के संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्द्धन करने, पिछड़े क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, औद्योगिक निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने, अनुसूचित जाति/ जनजाति आदि कमजोर वर्ग के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के उदेश्य की पूर्ति हेतु पूर्व की लागत पूंजी सहायता व अधोसंरचनात्मक सहायता योजना को संयुक्त करते हुये एक नवीन योजना **"अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना"** बनाई गयी है ।

2 **नियम**

ये नियम **"छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004"** कहे जावेगें।

3 **परिभाषाऐं :–**

इस योजना के कियान्वयन हेतु **उपाबंध "1"** के अनुसार परिभाषाएं लागू होंगी ।

4 **पात्रता**

4.1– औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले **"उपाबंध --12"** में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर शेष समस्त नवीन औधोगिक इकाइयों की स्थापना तथा विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार पर अनुदान / "अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

4.2– भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगमों /मंडलों /संस्थाओं /बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपकमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को पात्रता नही होगी।

4.3– यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक को /से पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

4.4– अनुदान संबंधी प्रथम स्वत्व लघु उद्योगों के प्रकरणों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक / अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर जो पश्चातवर्ती हो तथा लघु उद्योगों से भिन्न औद्योगिक इकाईयों के मामलों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के अधिकतम 18 माह पश्चात (जिसमें राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग को न्यूनतम 6 माह की अवधि का प्रांतीय वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विकय कर राशि का भुगतान किया गया हो) पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

4.5– अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिये पूर्व से वाणिज्यिक कर पंजीयन प्रमाण पत्र धारी डीलर्स के लिये इस योजना के अन्तर्गत राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग से पृथक "प्रांतीय" वाणिज्यिक कर पंजीयन एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4.6– औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में जिन उद्योगों ने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा / औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत यथास्थिति अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–3 दिनांक 07.06.2003 तथा अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–8 दिनांक 07.06.2003 में पात्रता होने पर इस अधिसूचना के अधीन अथवा औद्योगिक नीति 2001–06 के अधीन जारी अधिसूचनाओं कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–3 दिनांक 07.06.2003 /अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–8 दिनांक 07.06.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा ।

4.7– विभागीय अधिसूचना कमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 द्वारा राज्य के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले की पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु लागू विशे ा प्रोत्साहन पैकेज में दिनांक 1.4.2003 को /के पश्चात पंजीकृत लघु उद्योग / आई ई एम प्राप्त उन उद्योगों को जिन्होने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा अधिसूचना कमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा ।

4.8– **"उपाबंध 12"** मे दर्शाए गये उद्योगों को पात्रता तभी होगी जब इन औद्योगिक इकाईयों ने औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापित करने हेतु निर्धारित "प्रभावी कदम" उठा लिये हों तथा यथास्थिति – अधिसूचना कमांक एफ–14–2/ 03/ (6) 11–3, दिनांक 07.06.2003 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य लागत पूंजी सहायता नियम 2001 व अधिसूचना कमांक एफ–14–2/ 03/ (6) 11–8, दिनांक 07.06.2003 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचनात्मक सहायता नियम –2001 के अर्न्तगत पात्र हो । ऐसे उद्योगों को औद्योगिक नीति 2001–06 के अधीन जारी संबंधित अधिसूचनाओं की पात्रता एवं मात्रा अनुसार अनुदान देय होगा ।

4.10– यदि भारत ाासन / राज्य ाासन या इसके किसी निगम / बोर्ड /मंडल या वित्तीय संस्था से अनुदान प्राप्त किया गया हो तो इस अधिसूचना के अर्न्तगत पात्रता नही होगी।

4.11– स्ववित्त पोषित उधोगों को भी इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्रता होगी ।

4.12– उद्योग के आधुनिकीकरण व ाविलीकरण (डायवर्सिफिकेशन) पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

4.13– इस योजनान्तर्गत रियायत प्राप्त करने के लिये मध्यम– वृहद, मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद उद्योगों को उद्योग विभाग से पृथक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। पंजीयन हेतु उपाबंध 2 में निर्धारित प्रारूप पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन देना होगा (मध्यम– वृहद उद्योगों के मामलों में पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा मेगा प्रोजेक्ट एवं अति वृहद उद्योगों को पंजीयन प्रमाण पत्र अपर संचालक उद्योग संचालनालय द्वारा **"उपाबंध 3"** में निर्धारित प्रारूप पर जारी किया जावेगा)

4.14– इस योजनार्न्तगत लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में यह आवश्यक होगा कि औद्योगिक इकाई प्रत्येक विक्रय देयक / चालान पर इस आशय की प्रमाणित सील / मुद्रा अंकित करें कि "औद्योगिक इकाई अधोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करने हेतु पंजीकृत औद्योगिक इकाई है तथा अनुदान की राशि का संबंध राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर से है"

4.15– लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में यह भी आवश्यक होगा कि अनुदान के प्रथम स्वत्व की स्वीकृति उपरांत प्रत्येक विक्रय देयक / चालान पर इस आशय की प्रमाणित सील / मुद्रा अंकित करें कि "औद्योगिक इकाई अधोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु पंजीकृत व अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई है तथा अनुदान की राशि का संबंध राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर से है"

4.16– मध्यम – वृहद उद्योगों, मेगा प्रोजेक्ट एवं अति वृहद उद्योगों में अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिये जाने का आधार औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर से है । यदि औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य में वाणिज्यिक कर / क़ेन्द्रीय विक्रय कर की राशि का कुछ भी भुगतान नहीं किया है तो इस योजना के अर्न्तगत पात्रता नहीं होगी ।

5 **अनुदान की मात्रा**

लघु , मध्यम–वृहद तथा मेगा प्रोजेक्ट एवम अति वृहद उद्योगों को अधोसंरचना – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान / अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र" निम्न तालिका में दी गयी मात्रानुसार दिया /जारी किया जावेगा ।

//तालिका//

क– लघु उद्योग

(1)– नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना

क्षेत्र	सामान्य उद्योग		विशेष थ्रस्ट उद्योग
	वर्ग	अनुदान की मात्रा	अनुदान की मात्रा
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद,बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलों के क्षेत्र	1– सामान्य 2– अनिवासी भारतीय– शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग 4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	1– निरंक 2– निरंक 3– स्थायी पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के 4– स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के	1– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–रू0 25 लाख** 2– सकल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**–रू0 25 लाख 3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	1– सामान्य 2– अनिवासी भारतीय– शतप्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग 4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	1– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा–रू0 35 लाख 2– सकल पूंजी निवेश का 30प्रतिशत अधिकतम सीमा–रू0 35 लाख 3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के	1– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**–रू0 35 लाख 2– सकल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**–रू0 35 लाख 3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के 4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत,बिना किसी अधिकतम सीमा के

(2)– विद्यमान लघु उद्योग इकाईयों का विस्तार

विद्यमान लघु औद्योगिक इकाईयों के विस्तार पर उद्योग का स्वरूप यथा स्थिति "मध्यम–वृहद" अथवा "मेगा प्रोजेक्ट" में हो जाने पर तदनुसार मध्यम– वृहद अथवा मेगा प्रोजेक्ट हेतु सामान्य क्षेत्र में नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु निर्धारित दरों व अवधि के आधार पर अतिरिक्त निवेश पर अनुदान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जावेगा चाहे उद्योग सामान्य क्षेत्र में विस्तारित किया गया हो अथवा अति पिछड़े अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में

ख– मध्यम– वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	समान्य उद्योग			विशेष थ्रस्ट उद्योग	
	वर्ग	**नवीन औ0 इकाई की स्थापना**	**विद्यमान औ0 इकाई का विस्तार**	**नवीन औ0 इकाई की स्थापना**	**विद्यमान औ0 इकाई का विस्तार**
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद,बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	1– सामान्य	(औ0क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– अधो0सं0लागत का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि	(औ0क्षेत्रों के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– अधो0सं0लागत का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि
	2– अनिवासी भारतीय–शतप्रतिशत एफडीआई निवेशक	2– अधो0सं0लागत का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि	2– अधो0सं0लागत का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि
	3–अनु0जाति–जनजाति वर्ग	3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर के समतुल्य राशि
	4–अनु0जाति–जनजाति वर्ग (महिला)	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत (औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के

		वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो	1– सामान्य	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	(औ0क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– अधोसंरचना लागत का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	(औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) 1– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	2– अनिवासी भारतीय–शतप्रतिशत एफडीआई: निवेशक	2– सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– अधोसंरचना लागत का 30 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	3–अनु0जाति–जनजाति वर्ग	3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	4–अनु0जाति–जनजाति वर्ग (महिला)	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	4– सकल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत (औ0क्षेत्र मे /के बाहर उद्योग स्थापित करने पर) **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	4– सकल पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत **अधिकतम सीमा–** राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि

ग – अति वृहद उद्योग (नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना) /विद्यमान औद्योगिक इकाईयों का विस्तार

क्षेत्र	समान्य उद्योग		विशेष थ्रस्ट उद्योग
	वर्ग	अनुदान की मात्रा	अनुदान की मात्रा
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद ,बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	1– सामान्य	1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	2– अनिवासी भारतीय–शतप्रतिशत एफडीआई निवेशक	2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	3 अनु0जाति– जनजाति वर्ग	3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो	1– सामान्य	1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	1– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	2– अनिवासी भारतीय–शतप्रतिशत एफडीआई निवेशक	2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	2– सकल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	3–अनु0जाति– जनजाति वर्ग	3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	3– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि
	4–अनु0जाति– जनजाति वर्ग (महिला)	4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि	4– सकल पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत **अधिकतम सीमा**– राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि

(3)–1 विद्यमान औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाओं में अधोसंरचना लागत / स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की गणना विस्तार परियोजना हेतु किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश के आधार पर की जावेगी ।

6 प्रक्रिया

6.1– औद्योगिक इकाईयों को **"उपाबंध 4"** के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दो प्रतियों में आवेदन देना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध –13" में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी। आवेदन पत्र की एक प्रति वाणिज्यिक कर विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रेषित की जावेगी ।

(1) वैद्य प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) वैद्य स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ।

(4) ऋण स्वीकृति पत्र

(6) विभाग एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित आपसी सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) की प्रति (यदि लागू हो)

(7) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का उपाबंध 6 पर निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (रू0 एक लाख से अधिक अनुदान होने पर)

(8) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का उपाबंध 7 पर निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (रू0 एक लाख से अधिक अनुदान होने पर)

(9) अधोसंरचना लागत के अर्न्तगत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची

(10) स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची

(11) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल

(12) मध्यम– वृहद/ मेगा प्रोजेक्ट / अति वृहद उद्योगों के प्रकरणों में योजनान्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र

(13) भारत सरकार / राज्य सरकार के अन्य विभागों / वित्तीय संस्थाओं /बोर्ड /लघु उद्योग विकास बैंक आदि से पूंजी निवेश से संबंधित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र

(14) राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग से "प्रांतीय" वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र

(15) राज्य में भुगतान किये गये प्रांतीय वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर के भुगतान के चालान की सत्यापित प्रति व वाणिज्यिक कर अधिकारी का उपाबंध 10 में निर्धारित प्रारूप पर विक्रयकर भुगतान प्रमाण पत्र

(16) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर निर्धारण आदेश (यदि कर निर्धारण हो गया हो)

6.2– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण **"उपाबंध 5"** के निर्धारित प्रारूप पर न्यूनतम प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से करा कर अपने अभिमत के साथ अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर लघु उद्योगों के प्रकरणों में जिनमें अनुदान· राशि / समायोजन प्रमाण पत्र रूपये 15 लाख तक है जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत किया जावेगा तथा अन्य प्रकरण में अपने अभिमत के साथ उद्योग संचालनालय, को प्रेषित किये जावेंगे । जिला स्तर पर वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय द्वारा भी यही प्रक्रिया अपनाई जावेगी तथा अन्य प्रकरण अभिमत के साथ आयुक्त वाणिज्यिक कर को प्रेषित किये जावेंगे । इन प्रकरणों का निराकरण राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।

स्वत्वों का निराकरण लघु उद्योगों के प्रकरणों में 60 दिवसों में एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 90 दिवसों में किया जावेगा ।

6.3– जिला /राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत होने पर सदस्य सचिव द्वारा "स्वीकृति आदेश / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र उपाबंध 9/उपाबंध 11 पर निर्धारित प्रारूप में जारी किया जावेगा जिसके साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर औद्योगिक इकाई को अनुबंध का निष्पादन व पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराना होगा । विभाग की ओर से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा,

प्रकरण के निरस्त होने पर सदस्य सचिव द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निर्धारित समयावधि में अपील प्राधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा ।

योजना के क्रियान्वयन हेतु यथास्थिति जिला स्तरीय समिति / राज्य स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी। सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा । सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह अधिसूचना के अधीन समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्छूटों को समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें ।

6.4– यदि भारतीय क़ंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट लिमिटेड क़ंपनी के पक्ष में अनुदान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जावेगी ।

6.5– अनुबंध के निष्पादन व पंजीयन के उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में जारी

स्वीकृति दिनांक के कम में किया जावेगा । बजट आवंटन विलंब से उपलब्ध होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

समिति का स्वरूप :–

(अ)	**जिला स्तरीय समिति :–**	
(1)	कलेक्टर	**अध्यक्ष**
(2)	संयुक्त संचालक उधोग	**उपाध्यक्ष**
(3)	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	**सदस्य**
(4)	लीड बैंक अधिकारी	**सदस्य**
(5)	महाप्रबंधक, सी0एस0आई0डी0सी0 (उद्योग विभाग के उप संचालक स्तर के अधिकारी)	**सदस्य**
(6)	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र	**सदस्य सचिव**
(ब)	**राज्य स्तरीय समिति :–**	
(1)	उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग	**अध्यक्ष**
(2)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर से कम न हो	**उपाध्यक्ष**
(3)	प्रबंध संचालक, / कार्यपालक संचालक, सी0एस0आई0डी0सी0	**सदस्य**
(4)	महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय,रायपुर	**सदस्य**
(5)	अपर संचालक उधोग ,उद्योग संचालनालय	**सदस्य सचिव**

समिति का कोरम 3 का होगा । जिला स्तरीय समिति में "अनुक्रमांक 3" व राज्य स्तरीय समिति में **"अनुकमांक 2"** में अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

(स) योजना के कियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के कर्तव्य, अधिकार व दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

(1) योजना के अर्न्तगत प्राप्त स्वत्वों का संकलन करना / वांछित समिति से प्रकरणों का निराकरण करवाना ।

(2) योजना के कियान्वयन हेतु प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना,कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना ।

(3) योजना से सबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना व स्वत्वों के भुगतान के सबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना ।

(4) जिला स्तरीय समिति की बैठकों/ निर्णयों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रतिवेदन के रूप में सदस्य सचिव राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित करना ।

(द) योजना के कियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी ।

1– अधिसूचना के अधीन अनुदान योजना की व्याप्ति तथा उसके लागू होने के संबंध में जिला स्तरीय समिति को निर्देश देना ।

2– समिति स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर, अपने स्वयं के विनिश्चय का या जिला स्तरीय समिति के विनिश्चय की समीक्षा कर सकेगी, किन्तु किसी प्रकरण विशेष में स्वीकृति आदेश को निरस्त करने अथवा अनुदान राशि में कमी करने पर संबंधित पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिये सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जावेगा ।

3– अधिसूचना के अधीन योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा जिसका पालन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा ।

7 **अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के वितरण की प्रकिया**

(1) इस योजना के अर्न्तगत अधोसंरचना लागत व स्थायी पूंजी निवेश की गणना पंजीकृत परियोजना के आधार पर की जावेगी ।

(2) स्थायी पूंजी निवेश की गणना औद्योगिक नीति 2004–09 के **"परिशिष्ठ कमांक 1"** में दी गयी टीप अनुसार की जावेगी ।

(3) लघु उद्योगों के मामलों में अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा ।

(4) मध्यम–वृहद उद्योगों के मामलों में अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान, अनुदान की पात्रता अवधि में वार्षिक किश्तों में किया जावेगा ।

(5) मेगा प्रोजेक्ट तथा रूपये 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योगों को अनुदान का वितरण / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर किया जावेगा।

(6) राज्य में अनुदान की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए भुगतान किये गये प्रांतीय वाणिज्यिक कर व केन्द्रीय विक्रय कर राशि की गणना में निम्नांकित मदों में भुगतान की गयी कर राशि को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

(अ) राज्य में स्थिति केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल

(ब) डीजल तथा पेट्रोल

(स) वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित वस्तुएं

(द) ऐसे निर्मित माल /उद्योग में प्रयुक्त कच्चामाल, आनुषांगिक माल व अन्य पर औद्योगिक इकाई अथवा उपभोक्त्रा द्वारा मांगा गया सेटऑफ / समायोजन

(इ) अनुदान की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की ऐसी राशि जिसका वैट अधिनियम लागू होने पर वैट स्कीम में समायोजन / वापसी का दावा किया गया हो, सम्मिलित नहीं की जावेगी ।

(7) किश्तों में किये जाने वाले अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन अनुदान की गणना हेतु प्रति वर्ष अनुदान की मात्रा को अनुदान की पात्रता अवधि मे विभक्त कर

अनुदान के मात्रा की वार्षिक किश्त तथा राज्य में प्रति वर्ष भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर राशि की तुलना की जावेगी व इसमें से जो न्यूनतम होगा उसका यथास्थिति भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । (उद्योग प्रारंभ करने के पश्चात प्रथम वर्ष में संबंधित वित्तीय वर्ष की शेष बची हुई अवधि न्यूनतम 6 माह तथा आगामी वर्षो में (पूर्ण वित्तीय वर्ष– अप्रेल से मार्च तक) के आधार पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ज्ञात की जावेगी) अनुदान की अधिकतम सीमा राशि राज्य में भुगतान की गयी वार्षिक कर राशि(वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर) होगी । यह प्रकिया अनुदान देय की पात्रतावधि में वर्षवार अपनाई जावेगी ।

उदाहणार्थः–

सामान्य वर्ग के एक उद्यमी द्वारा जिसने औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सामान्य उद्योग स्थापित किया है जिसका सकल पूंजी निवेश 100 करोड़ तथा अधोसंरचना लागत रू0 10 करोड़ है तथा उद्योग स्थापित करने के पश्चात निर्धारित 5 वर्षो में क्रमशः रू0 25 लाख, 50 लाख ,60 लाख, 5 लाख व 1 लाख का भुगतान प्रांतीय विक्रय कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर के रूप में किया है को अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन निम्नानुसार होगा –

वर्ष	अधोसंरचना लागत (रू0 लाख में)	निवेश के आधार पर अनुदान की मात्रा अनुदान की वार्षिक किश्त (अनुदान की राशि ÷ अनुदान की अधिकतम सीमा अवधि) (रू0 लाख में)	राज्य में भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर की राशि (रू0 लाख में)	देय / समायोजित अनुदान (रू0 लाख में)
1	1000	50	25	25
2		50	50	50
3		50	60	50
4		50	5	5
5		50	1	1

(1) उद्योग स्थापित करने के प्रथम वर्ष में पात्र लघु उद्योगों से भिन्न औद्योगिक इकाईयों को अनुदान का वितरण नहीं किया जावेगा ।

(2) उद्योग .स्थापित करने के द्वितीय वर्ष की अवधि में – प्रथम वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

(3) उद्योग स्थापित करने के तृतीय वर्ष की अवधि में – द्वितीय वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

(4) उद्योग स्थापित करने के चतुर्थ वर्ष की अवधि में – तृतीय वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

(5) उद्योग स्थापित करने के पंचम वर्ष की अवधि में – चतुर्थ वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।

पंचम वर्ष की अवधि में औद्योगिक इकाई को इस आशय के दस्तावेज / प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य में भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि / केन्द्रीय कर राशि में औद्योगिक इकाई द्वारा / किसी उपभोक्ता द्वारा औद्योगिक इकाई के निर्मित माल – कच्चा माल के संबंध में कोई सेटआफ / समायोजन राशि वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त नहीं की है / दावा नहीं किया है व इसके उपरांत चतुर्थ वर्ष में औद्योगिक इकाई को देय / समायोजन योग्य अनुदान राशि का भुगतान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

(6) उद्योग स्थापित करने के छठवे व सातवे वर्ष में बिन्दु क्रमांक 7.5 के अनुरूप कार्यवाही कर आगामी वर्षो में देय अनुदान / समायोजन की गणना की जावेगी ।

(राज्य में भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि / केन्द्रीय कर राशि में औद्योगिक इकाई द्वारा / किसी उपभोक्ता द्वारा औद्योगिक इकाई के निर्मित माल – कच्चा माल के संबंध में कोई सेटआफ / समायोजन राशि वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त नहीं करने / दावा नहीं करने बाबत प्रमाण यदि पंचम वर्ष के पूर्व ही दिया जाता है तो तदनुसार अनुदान की राशि निर्धारित की जावेगी) ।

7.1 देय अनुदान की पात्रता अवधि में किसी वर्ष यदि उद्योग बंद हो जाता है तो संबंधित वर्ष में अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा व संबंधित वर्ष की अनुदान पात्रता भी समाप्त हो जावेगी ।

7.2 यदि सकल पूंजी निवेश के आधार पर अनुदान राशि देय है तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात किसी वर्ष / वर्षो में उद्योग द्वारा स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि की गयी है तो अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर अनुदान की मात्रा को पात्रता अवधि के शेष वर्ष /वर्षो में विभक्त कर निवेश की मात्रा के आधार पर अनुदान राशि में जोड़ा जावेगा । स्थायी पूंजी निवेश की गणना औद्योगिक नीति 2004–09 के "परिशिष्ठ 1" में दी गयी टीप अनुसार होगी ।

8 अपील /वाद

(1) औद्योगिक इकाई द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध राज्य स्तरीय समिति को एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध "राज्य अपिलीय फोरम" को आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 60 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी ।

(2) विलंब से प्राप्त आवेदनों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण के गुण दोष के आधार पर विलम्ब माफ करने पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

(3) राज्य स्तरीय समिति / राज्य अपीलीय फोरम द्वारा प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुये ऐसा आदेश पारित किया जावेगा जैसा कि योजना एवं अधिसूचना के अधीन उचित समझा जावे ।

(4) इस योज़ना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

(5) राज्य अपीलिय फोरम में निम्नलिखित सदस्य होगें–

1–	भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग–	**अध्यक्ष**
2–	भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग–	**सदस्य**
3–	प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग–	**सदस्य**
4–	प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग–	**सदस्य**
5–	प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग–	**सदस्य सचिव**

राज्य अपीलीय फोरम की गण पूर्ति चार से होगी तथा अनुक्रमांक 2 अथवा 3 पर अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य अपीलीय फोरम द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी माना जावेगा ।

9 अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वसुली

निम्न स्थितियों में अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी–

9.1– औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की राशि भुगतान हो जाने /स्वीकृति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है ।

9.2– अनुदान / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत होने के पश्चात भी स्वत्व के नियमानुसार नही पाये जाने पर

9.3– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्व की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4.3 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है।

9.4– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है ।

9.5– अनुदान वितरण एजेंसी द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

9.6– वार्षिक रूप से उत्पादन व विक्रय संबंधी जानकारी/ अंकेक्षित लेखे वितरण एजेंसी को नियमित रूप से प्रस्तुत न किये जायें ।

9.7– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान/ समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र की प्राप्ति हो गयी हो ।

9.8– अनुदान राशि / समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र की स्वीकृति उपरांत यदि यह पाया जाता है कि वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की गणना में ऐसे आयटमों पर भी भुगतान की गयी राशि को सम्मिलित किया गया है जिन्हें गणना हेतु अपात्र घोषित किया गया है ।

9.9– उपर्युक्त बिन्दु 8.1 से 8.8 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण / वसूली के आदेश, अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली/ भविष्य के दावों में समायोजन करने के आदेश देने के अधिकार यथास्थिति जिला / राज्य स्तरीय समिति को होंगे तथा समिति के सदस्य सचिव समिति के निर्णय / आदेश के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू– राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

9.10– नियंत्रण से परे कारणों के कारण उधोग का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उधोग बंद हो जाने की श्रेणी में नही माना जावेगा । नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया जावेगा ।

10 <u>अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–</u>

अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाईयों के दायित्व होंगे –

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने रू. 1,00,000, से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें अनुदान वितरण एजेन्सी को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होगे । रू. 1,00,000 से कम अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन व विक्रय की जानकारी 5 वर्ष तक देनी होगी । यह जानकारी अनुदान स्वीकृत करने वाली जिला / राज्य स्तरीय समिति के सदस्य सचिव के कार्यालय में वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त होने वाले पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।

(3) अघोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त की पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अघोसंरचना तथा

स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नही किया जावेगा । उद्योग आयुक्त द्वारा प्रकरण के गुण– दोष के आधार पर इन बिन्छूटों पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

(4) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क0 4.3 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

11 योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग सक्षम होंगे ।

12 **योजना का कियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

13 इस अधिसूचना की स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0नोट कमांक 1094 दिनांक 16.08.2005 द्वारा प्रदान की गयी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18/8/05

(अनूप श्रीवास्तव)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायपुर

उपाबंध–1
(नियम 3)
(परिभाषाएं)

(एक)– **"औद्योगिक क्षेत्र"** से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरी औद्योगिक संस्थान / ग्रामीण कर्मशाला, औद्योगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, राज्य शासन द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक पार्क, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन के आधिपत्य में भूमि बैंक तथा राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन द्वारा संधारित औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र,

(दो)– **"नवीन औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 1.11. 2004 या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र या वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(तीन)– **"विद्यमान औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने औद्योगिक नीति 2004–09 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो व इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र /वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(चार)– **"विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार"** से अभिप्रेत नियत दिनांक के पश्चात राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करके न्यूनतम 25 करोड़ रू0 स्थायी पूंजी निवेश करते हुए अपनी स्थापित मूल क्षमता या 3 वर्षो के औसत उत्पादन, जो अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है,

(पांच)– **"लघु उद्योग इकाई"** से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई लघु उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो तथा सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

(छैः)– **"मध्यम – वृहद औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसका प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लघु उद्योगो हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक, किन्तु सकल स्थायी पूंजी निवेश रू. 100 करोड़ से कम हो, भारत सरकार से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन., औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

(सात)– **"मेगा प्रोजक्ट"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करते हुए दिनांक 1 नवंबर 2004 के पश्चात उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा भारत सरकार के उद्योग मत्रांलय से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन , औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त कर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(आठ)– **अति वृहद उद्योग–** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके औद्योगिक उपक्रम के परिसर में किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं उद्योग के लिये आवश्यक अधोसंरचना लागत की कुल राशि रूपये 1000 करोड़ से अधिक हो

(नौ)– ''सामान्य उद्योग'' से अभिप्रेत एवं इसमें सम्मिलित है जो विशेष थ्रस्ट उद्योग एवं औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ट –2 में सम्मिलित नहीं है

(दस)– **"विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग"** से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है,

1– हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण

2– आटोमोबाईल,आटो कंपोनेन्ट्स, स्पेयर्स तथा साइकिल उद्योग

3– प्लांट / मशीनरी / इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण

4– एल्यूमीनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद

5– खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/ सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)

6– मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद

7– फार्मेस्यूटिकल उद्योग

8– व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता उत्पाद

9– अपरंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन

10– सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी

11– ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

(ग्यारह)– **"अपात्र उद्योग"** से अभिप्रेत है औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ठ–2 में उल्लेखित उद्योग,

(बारह)– **"सकल पूंजीगत लागत / सकल पूंजी निवेश"** से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के परिसर में किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं उद्योग के लिये आवश्यक अधोसंरचना लागत की कुल राशि

(तेरह)– "अधोसंरचनात्मक **लागत**" से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा नवीन उद्योग की स्थापना या किसी विद्यमान इकाई के विस्तार हेतु आवश्यक भूमि, भूमि विकास, पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किया गया निवेश

(चौदह)– **"भूमि"** से अभिप्रेत है औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक क्रय की गई या लीज पर ली गई भूमि, तथा **"भूमि व्यय"** में सम्मिलित है– भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम तथा भुगतान किया गया मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन शुल्क

(पन्द्रह)– **"भूमि विकास"** के अन्तर्गत सम्मिलित हैं– भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण, ड्रेनेज निर्माण,

टीप : भूमि विकास पर किया गया निवेश भूमि एवं भवन पर मान्य स्थाई पूंजी निवेश के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा,

(सोलह)– **"पहुंच मार्ग"** से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो औद्योगिक उपक्रम के फेक्ट्री परिसर के निकटवर्ती सावर्जनिक मार्ग से फेक्ट्री स्थल तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों / स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते फेक्ट्री परिसर तक शासन के किसी विभाग /उपक्रम का कोई पहुंचमार्ग न हो,

(सत्रह)– **"विद्युत आपूर्ति निवेश"** से अभिप्रेत किसी नवीन औद्योगिक इकाई या किसी विद्यमान उद्योग की विस्तारित इकाई में उत्पादन प्रारंभ करने के लिये विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करने हेतु, विद्युत संयोजन के लिये छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल / उसके उत्तराधिकरी उपक्रमों को भुगतान की गई राशि तथा उससे संबंधित अधोसंरचना पर व्यय की गयी राशि से है

टीप : (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट तथा छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जावेगी ।

(2) यदि केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना केवल स्वयं के उद्योग को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को "विद्युत आपूर्ति निवेश" के तहत मान्य किया जावेगा जिसके लिए विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ।

(अठारह)– **"जल आपूर्ति निवेश"** से अभिप्रेत किसी नवीन औद्योगिक उपक्रम की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार हेतु आवश्यक जल आपूर्ति के लिये किये गये निवेश (प्रतिभूति तथा सबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोड कर) से है बशर्ते कि जल आपूर्ति की व्यवस्था शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात की गयी हो ,

(उन्नीस)– **"स्थायी पूंजी निवेश"** से अभिप्रेत किसी नवीन उद्योग की स्थापना या किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार हेतु औधोगिक इकाई द्वारा उसके परिसर में फेक्ट्री भवन, शेड, प्लांट एवं मशीनरी तथा रेल्वे साइडिंग के रूप में स्थायी परिसम्पत्तियों में किये गये निवेश से है

(बीस)– **"शेड–भवन"** से अभिप्रेत है और इसमे शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के स्थापना स्थल पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन,श्रमिक विश्राम कक्ष, साईकिल / स्कूटर स्टेण्ड, सिक्युरिटी पोस्ट, माल गोदाम,

(इक्कीस)– **"प्लांट एवं मशीनरी"** सें अभिप्रेत है और इसमे शामिल हैं औद्योगिक उपक्रम के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान आदि हेतु संयंत्र एवं उपकरण आदि,

टीप : न्यूनतम 10 वर्ष की कालावधि के लिए प्राप्त किए गए ऐसे लीज–होल्ड प्लांट, मशीनरी तथा उपकरण, जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो, पर किया गया निवेश भी प्लांट एवं मशीनरी पर किया गया निवेश मान्य होगा तथा उसका मूल्यांकन "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंटस ऑफ इण्डिया" द्वारा जारी "एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए.एस.) 19 लीजेस की प्रकिया एवं मापदण्ड" के अनुसार किया जाएगा ।

(बाईस)– **"रेलवे साइडिंग"** से अभिप्रेत औद्योगिक इकाई के कार्यस्थल से विद्यमान रेल्वे लाइन तक बिछाई गई रेलवे लाइन तथा संबद्ध सुविधाओं के निर्माण से है,

टीप : **स्थायी पूंजी निवेश की गणंना निम्नानुसाार की जाएगी –**

(क) लघु उद्योग की दशा में उपक्रम के स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छः मास की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश

(ख) मध्यम– वृहद उद्योग की दशा में स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश,

(ग) मेगा प्रोजेक्ट की दशा मे उपक्रम के स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि में किया गया स्थायी पूंजी निवेश,

(तेईस)–"वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक" से अभिप्रेत है–

(क) लघु उद्योग के मामले में औधोगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किये गये परीक्षण –उत्पादन से 30 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो भी पहले हो,

ख) रूपये 10 करोड तक स्थायी पूंजी निवेश वाली औधोगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो,

(ग) रूपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन तक बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो भी पहले हो,

(घ) रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो भी पहले हो,

(ङ) रू. 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से एक वर्ष बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो,

टीप : वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के संबंध में कोई विवाद होने पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अन्तिम होगा ।

(चौबीस)– **"अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रुप में अधिसूचित जाति,

(पच्चीस)– **"अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/ स्थापित उद्योग"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाए या स्थापित की जानी प्रस्तावित हो, तथा भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों,

(छब्बीस)–**"प्रभावी कदम"** से अभिप्रेत, निम्नलिखित कार्रवाईयां पूर्ण करने से है –

क. इकाई ने भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया हो,

ख इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार शेड–भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो , तथा

ग इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का पक्का क्रय आदेश दे दिया हो।

(सताईस)– कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारियों की वही परिभाषा मान्य की जावेगी जो राज्य शासन द्वारा समय –समय पर जारी की जावे ।

(सताईस)– अनिवासी भारतीय की वही परिभाषा मान्य होगी जो भारत सरकार द्वारा समय –समय पर जारी की जावे।

(उनतीस)– शत –प्रतिशत एफडीआई वाले निवेशक की वही परिभाषा मान्य होगी जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की जावे व जिसे भारत सरकार द्वारा वांछित अनुमति प्रदत्त हो ।

(तीस)– राज्य के मूल निवासी से अभिप्रेत है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किया जावे ।

"उपाबंध 2"
(नियम 4.13)
"छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004" के अन्तर्गत अधोसंरचना –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का विवरण

1– इकाई का नाम
पत्र व्यवहार का पता
दूरभाष फेक्स ई–मेल वेबसाइट

2– प्रस्तावित संस्था का प्रकार (कृपया चिन्ह लगायें)

1	स्वामित्व	2	साझेदारी
3	प्रायवेट लिमिटेड	4	पब्लिक लिमिटेड
5	संयुक्त उपक्रम	6	सहकारी समिति
7	सार्वजनिक उपक्रम	8	अप्रवासी भारतीय
9	विदेशी निवेश	10	अन्य

3– संस्था के निर्गम का दिनांक

4– पंजीयन कमांक

5– प्रबंध संचालक / संचालकों के नाम पता सहित एवं
दूरभाष फेक्स ई–मेल वेबसाइट

6– लिमिटेड कंपनी होने की स्थिति में रजिस्टर्ड कार्यालय का पता..............................
दूरभाष फेक्स ई–मेल वेबसाइट

7– स्थानीय कार्यालय (संपर्क व्यक्ति) का नाम
पत्र व्यवहार का पता
दूरभाष फेक्स ई–मेल वेबसाइट

8– परियोजना हेतु पंजीयन
1– एफआईपीबी /आरबीआई अनुमोदन कमांक दिनांक वैद्यता अवधि
2– ईओयू पंजीयन कमांक दिनांक वैद्यता अवधि
3– आईईएम कमांक दिनांक वैद्यता अवधि

9– परियोजना की प्रकृति (कृपया चिन्ह √ लगायें)
1– नवीन
2– विस्तार

10– कार्यकलाप की प्रकृति (कृपया चिन्ह √ लगायें)
1– विनिर्माण / एकत्रीकरण
2– प्रोसेसिंग
3– जाबवर्क
4– मरम्मत /सर्विसिंग

11– परियोजना का स्थान

12– निर्माण हेतु प्रस्तावित उत्पाद

क्रमांक	उत्पाद का नाम	एनआईसी कोड	वार्षिक क्षमता (इकाई)
1			
2			
3			

13– निर्माण विधि का संक्षिप्त विवरण (आवश्यक होने पर अलग से संलग्न करें)

14– सह–उत्पाद का विवरण

क्रमांक	नाम	मात्रा प्रतिवर्ष (इकाई)
1		
2		

15– कच्चे माल की आवश्यकता

क्रमांक	उत्पाद का नाम	कच्चे माल की आवश्यकता	वार्षिक आवश्यकता (इकाई)
1			
2			
3			
4			

16– प्रस्तावित यंत्र–संयत्र की सूची

क्र0	संयत्र का नाम	उदेश्य	संख्या	अश्वशक्ति	मूल्य (रूपये)
1					
2					
3					
4					

17– परियोजना की अनुमानित लागत

1	भूमि	रूपये
2	भूमि विकास शुल्क	रूपये
3	भवन (कार्यालय)	रूपये
4	भवन (फक्ट्री)	रूपये
5	अन्य भवन (विवरण सहित)	रूपये
6	यंत्र व संयत्र	रूपये
7	विद्युत स्थापना व्यय	रूपये
8	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र	रूपये
9	अन्य	रूपये
10	विविध	रूपये
11	कार्यशील पूंजी	रूपये
	अ– योग	रूपये
	ब– कार्यशील पूंजी	रूपये

//घोषणा पत्र//

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व कोई तथ्य नहीं छिपाये गये हैं।

2– छत्तीसगढ़ राज्य अघोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 की जानकारी उपरांत उपरोक्तानुसार पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत है ।

3– छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियमों में अनुदान वितरण की प्रकिया जो विभाग द्वारा अपनाई जावेगी उससे में सहमत हूं ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

"उपाबंध 3"

(नियम 4.13)

अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का पंजीयन प्रमाण पत्र

उद्योग संचालनालय / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

पंजीयन कमांक /वित्तीय सहायता– 200........ रायपुर दिनांक

1– छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक...................... दिनांक ....के तहत औद्योगिक इकाई .... के अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करने के आवेदन पत्र का पंजीयन, पंजीयन कमांक................. .... दिनांक.......................... के द्वारा किया जाता है ।

1.1– औद्योगिक इकाई, वाणिज्य और उद्योग विभाग, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना / औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र धारित है

अ–

ब–

स–

1.2– औद्योगिक इकाई की प्रस्तावित परियोजना निम्नानुसार है

अ– फेक्ट्री का प्रस्तावित स्थल

ब– औद्योगिक इकाई की अनुमानित परियोजना लागत

स– औद्योगिक इकाई के प्रस्तावित उत्पाद व उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता

2– यह पंजीयन प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक .... दिनांक........................... के नियमों व शर्तो के अधीन जारी किया गया है ।

3– यह पंजीयन प्रमाण पत्र अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की स्वीकृति हेतु कोई वचन पत्र नहीं है ।

4– पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ औद्योगिक इकाई व पंजीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) संलग्न है ।

5– इस प्रोजेक्ट के कियान्वयन हेतु कंपनी तथा राज्य शासन के बीच दिनांक.................. को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुआ है ।

अपर संचालक / महाप्रबंधक

उद्योग संचालनालय / जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

"उपाबंध–4"

(नियम 6.1)

"छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004" के अन्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का आवेदन प्रारूप

1– **औद्योगिक इकाई का नाम व पता**

2– **उद्यमी का वर्गीकरण**

1– सामान्य /अनिवासी भारतीय –शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक

2– अनुसूचित जाति/ जनजाति / अनुसूचित जाति/ जनजाति महिला

3– **औद्योगिक इकाई का प्रकार (लघु, मध्यम–वृहद,मेगा / 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योग,)**

4– **औद्योगिक इकाई का स्वरूप (नवीन / विस्तार)**

5– **औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल**

1 स्थान

2 विकास खण्ड

3 जिला

6– **पंजीयन**

1– अन्नतिम लघु उद्योग पंजीयन

2– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन / उत्पादन प्रमाण पत्र

3– भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना, औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र

4– प्रांतीय वाणिज्यिक कर पंजीयन

5– केन्द्रीय विकय कर पंजीयन

6– पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति

अ– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्र्तगत प्राप्त सम्मति (उद्योग स्थापना बाबत)

ब– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्र्तगत प्राप्त सम्मति (उद्योग स्थापना बाबत)

स– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्र्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)

द– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्र्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)

ई– भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)

7– कारखाना अधिनियम के अन्र्तगत पंजीयन

8– भूमि व्यपवर्तन /शुल्क निर्धारण आदेश

9– जल स्वीकृति सम्मति पत्र (औद्योगिक प्रयोजन हेतु)

10– ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

7— कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक

8— वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

9— अ— उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा)
(मूल्य)
ब— उत्पाद हेतु प्रयुक्त प्रमुख कच्चामाल(अनुमानित मात्रा व मूल्य)
स— उत्पाद हेतु प्रयुक्त आनुषांगिक माल
द— उत्पाद हेतु प्रयुक्त पेकिंग सामग्री

10— सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)

क0		राशि
1	<u>स्थायी पूंजी निवेश</u> अ— फैक्ट्री भवन 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 सायकल / स्कूटर स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग ब— प्लांट एवं मशीनरी 1 औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण योग स— रेल्वे साइडिंग 1— इकाई के कार्य स्थल से विद्यमान रेल्वे लाईन तक बिछाई गयी रेल्वे लाईन 2— अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण व्यय योग—	
2	<u>अघोसंरचना लागत—</u> 1 भूमि अ— भूमि का रकबा ब— बास्तविक कय मूल्य /प्रीमियम स— सी0एस0आई0डी0सी0 को वास्तविक प्रब्याजि भुगतान द— मुद्रांक शुल्क इ— पंजीयन शुल्क 2 भूमि विकास अ— भूमि का समतलीकरण ब— भूमि का गहरीकरण स— ड्रेनेज निर्माण	

	योग 3 पहुंच मार्ग अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय 4 विद्युत आपूर्ति निवेश अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल को किया गया भुगतान ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश 5 जल आपूर्ति निवेश अ– औद्योगिक उपयोग हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया व्यय	
3	<u>अन्य–(यदि निवेशित किया हो)</u> 1– गेस्ट हाउस 2– पूजा घर 3– कर्मचारी आवास 4– आवासीय मकान 5– बाउन्ड्रीवाल 6– पार्क 7– अन्य	
4	कुल योग– **सकल पूंजीगत लागत** ;12द्ध	

11– सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–

1– स्वंय के स्त्रोत

2– अंश पूंजी

3– ऋण

अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब– बैंकों से ऋण

4– योग

12– रोजगार–

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			

	योग			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
	महायोग			

13– **विद्युत भार–**

14– **राज्य में भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर विभाग को कर राशि**

1– भुगतान की गयी राशि

अ– केन्द्रीय विक्रय कर

ब– प्रांतीय वाणिज्यिक कर

स– केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल एवं डीजल तथा पेट्रोल तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद/ आयटमों पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर राशि ।

द– केन्द्रीय वाणिज्यिक कर की ऐसी राशि जिसका (वैट अधिनियम लागू होने पर) वैट स्कीम में समायोजन/ वापसी का दावा किया गया है ।

ई– अनुदान गणना हेतु राशि (वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतानित शुद्ध वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ।

15– **निवेशक की अन्य औद्योगिक इकाइयों का विवरण –**

1– नाम व पता

2– कारखाना स्थल

अ– ग्राम / नगर

ब– तहसील

स– जिला

द– विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य रियायतों /छूट का विवरण

16– **अन्य**

//घोषणा पत्र//

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।

2– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वापसी के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि, मय ब्याज 30 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

3– छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 की जानकारी उपरांत उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत है ।

4– राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि तथा केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल एवं डीजल तथा पेट्रोल तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद/ आयटमों पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि को कम कर राशि दर्शाई गयी है ।

5– राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि तथा केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में यदि औद्योगिक इकाई / अन्य क्रेता /उपभोगता द्वारा सैट–आफ / समायोजन हेतु वाणिज्यिक कर विभाग में दावा किया जाता है अथवा राशि प्राप्त की जाती है तो इसकी जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम अधिकारी एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी । भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में ऐसी राशि जिसका वैट स्कीम में समायोजन/ वापसी का दावा किया जाता है तो उसकी जानकारी भी वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम अधिकारी एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी ।

6– अनुदान की गणना हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में ऐसी कोई राशि सम्मिलित नहीं है जिसका वैट स्कीम में समायोजन /वापसी का दावा किया गया है । (वैट अधिनियम लागू होने पर)

7– छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 में अनुदान वितरण की प्रक्रिया जो विभाग द्वारा अपनाई जावेगी उससे मैं सहमत हूं ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

"उपाबंध 5"

(नियम 6.2)

"अघोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान आवेदन का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन"

निरीक्षण / सत्यापन दिनांक......................

1– **औद्योगिक इकाई का नाम व पता**

2– **उद्यमी का वर्गीकरण**

1– सामान्य /अनिवासी भारतीय –शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक

2– अनुसूचित जाति/ जनजाति / अनुसूचित जाति/ जनजाति महिला

3– **औद्योगिक इकाई का प्रकार (लघु, मध्यम–वृहद,मेगा / 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले उद्योग,)**

4– **औद्योगिक इकाई का स्वरूप**

5– **औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल**

1 स्थल

2 विकास खण्ड

3 जिला

6– **पंजीयन**

1– अन्नतिम लघु उद्योग पंजीयन

2– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन

3– भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना, औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र

4– प्रांतीय वाणिज्यिक कर पंजीयन

5– केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन

6– पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति

अ– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति

ब– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति

स– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)

द– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)

ई– भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)

7– कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत पंजीयन

8– भूमि व्यपवर्तन/शुल्क निर्धारण आदेश

9– जल स्वीकृति सम्मति पत्र (औद्योगिक प्रयोजन हेतु)

10– ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय का उद्योग स्थापना के संबंध में अनाप्पति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

7– **कनेक्टेड विघुत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक**

8– **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक**

9– अ– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा)

(मूल्य)

ब– उत्पाद हेतु प्रयुक्त प्रमुख कच्चामाल(अनुमानित मात्रा व मूल्य)

स– उत्पाद हेतु प्रयुक्त (आनुषांगिक माल)

द– उत्पाद हेतु प्रयुक्त (पेकिंग सामग्री)

10– सकल पूंजीगत लागत का विवरण

क्र0	प्रोजेक्ट रिर्पोट के अनुसार सकल पूंजीगत लागत	राशि	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक .... तक/ उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात दिनांक.......... ...... से दिनांक...................तक किया गया पूंजी निवेश रूपयों में
1	**स्थायी पूंजी निवेश** अ– फैक्ट्री भवन 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 सायकल / स्कूटर स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग ब– प्लांट एवं मशीनरी 1 औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण योग स– रेल्वे साइडिंग 1– इकाई के कार्य स्थल से विद्यमान रेल्वे लाईन तक बिछाई गयी रेल्वे लाईन 2– अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण व्यय योग–		
2	अघोसंरचना लागत– 1 भूमि अ– रकबा ब– वास्तविक क्रय मूल्य / प्रीमियम स– सी0एस0आई0डी0सी0 को वास्तविक प्रब्याजि भुगतान द– मुद्रांक शुल्क इ– पंजीयन शुल्क 2 भूमि विकास अ– भूमि का समतलीकरण ब– भूमि का गहरीकरण स– ड्रेनेज निर्माण योग– 3 पहुंच मार्ग अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय 4 विद्युत आपूर्ति निवेश अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल को किया गया भुगतान		

	ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश 5 जल आपूर्ति निवेश अ– औद्योगिक उपयोग हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया व्यय **योग–**		
3	अन्य– (यदि निवेश किया गया हो) 1– गेस्ट हाउस 2– पूजा घर 3– कर्मचारी आवास 4– आवासीय मकान 5– बाउन्ड्रीवाल 6– पार्क 7– अन्य		
4	**कुल योग– सकल पूंजीगत लागत** ;12द्ध		

11– रोजगार–

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			
	योग			
	महायोग			

12– सकल पूंजी निवेश संबंधी भौतिक स्थिति

1– भूमि (आवंटित भूमि व औद्योगिक उपयोग में लाई गयी भूमि का विवरण)

2– भूमि विकास (समतलीकरण, गहरीकरण व डेनेज निर्माण)

3– पहुंचमार्ग (कार्य का स्वरूप, लम्बाई, चौड़ाई)

4– विद्युत आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

5– जल आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

13– विद्युत भार–

14– राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी कर राशि का विवरण

1– भुगतान की गयी राशि

अ– केन्द्रीय विक्रय कर

ब– प्रांतीय वाणिज्यिक कर

2– राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल एवं डीजल तथा पेट्रोल तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद/ आयटमों पर भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर राशि (पृथक–पृथक)।

3– औद्योगिक इकाई / अन्य क्रेता /उपभोक्ता द्वारा सेटआफ / समायोजन की स्थिति

4– वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर की राशि में वैट स्कीम में समायोजन/ राशि वापसी के दावे संबंधी स्थिति । (वैट अधिनियम लागू होने पर)

5– अनुदान गणना योग्य, भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर की राशि

15– औद्योगिक इकाई की अन्य इकाइयों का विवरण (यदि लागू हो)–

1– नाम व पता

2– कारखाना स्थल

अ– ग्राम / नगर

ब– तहसील

स– जिला

द– विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य रियायतों /छूट का विवरण

16– अन्य

निरीक्षण कर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)

नाम

पद

कार्यालय

प्रारूप

"उपाबंध–6"

(नियम 6.1 (7)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई ....
.जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................... में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................. है, ने दिनांक..........................तक किया गया अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत निम्नानुसार रूपये.................................(अक्षरों में)........................... है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:

क0	विवरण	निवेशित राशि	वास्तविक भुगतान की गयी राशि
1	**स्थायी पूंजी निवेश** अ– फैक्ट्री भवन 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 सायकल / स्कूटर स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग ब– प्लांट एवं मशीनरी 1 औद्योगिक इकाई के परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण योग स– रेल्वे साइडिंग 1– इकाई के कार्य स्थल से विद्यमान रेल्वे लाईन तक बिछाई गयी रेल्वे लाईन 2– अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण व्यय कुल योग–		
2	**अधोसंरचना लागत–** 1 भूमि अ– वास्तविक कय मूल्य / प्रिमियम ब– मुद्रांक शुल्क स– पंजीयन शुल्क		

	2 भूमि विकास अ– भूमि का समतलीकरण ब– भूमि का गहरीकरण स– ड्रेनेज निर्माण योग 3 पहुंच मार्ग अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय 4 विद्युत आपूर्ति निवेश अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल को किया गया भुगतान ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश 5 जल आपूर्ति निवेश अ– औद्योगिक उपयोग हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया व्यय		
3	अन्य– 1– गेस्ट हाउस 2– पूजा घर 3– कर्मचारी आवास 4– आवासीय मकान 5– बाउन्ड्रीवाल 6– पार्क 7– अन्य		
4	योग		

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक

प्रारूप

"उपाबंध–7"

(नियम 6.1 (8)

(चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक............ है, ने दिनांक......................तक किया गया अघोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निम्नानुसार रूपये.............................(अक्षरों में)........................ है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:

क0	विवरण	मात्रा / साईज	दर	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
2	अघोसंरचना लागत–			
	1 भूमि			
	अ– वास्तविक कय मूल्य / प्रिमियम			
	2 भूमि विकास			
	अ– भूमि का समतलीकरण			
	ब– भूमि का गहरीकरण			
	स– ड्रेनेज निर्माण			
	द– अन्य			
	योग			
	3 पहुंच मार्ग (लम्बाई व चौड़ाई व सड़क निर्माण का स्वरूप)			
	अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय			
	4 जल आपूर्ति निवेश (पाईप लाईन, ओव्हर हेड, टेंक, एनीकट / बोरवेल, तालाब आदि)			
3	अन्य–			
	1– गेस्ट हाउस			
	2– पूजा घर			
	3– कर्मचारी आवास			
	4– आवासीय मकान			
	5– बाउन्ड्रीवाल			
	6– पार्क			

स्थान :

दिनांक:

चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का नाम व पता

सील

हस्ताक्षर

सदस्यता कमांक

प्रारूप

"उपाबंध–7"

(नियम 6.1 (8)

(चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई .... .जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................... में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक................. है, ने दिनांक..........................तक किया गया अघोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत निम्नानुसार रूपये.................................(अक्षरों में).......................... है का निवेश निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:

क0	**विवरण**	**मात्रा / साईज**	**दर**	**राशि**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
2	अघोसंरचना लागत–			
	1 भूमि			
	अ– वास्तविक कय मूल्य / प्रिमियम			
	2 भूमि विकास			
	अ– भूमि का समतलीकरण			
	ब– भूमि का गहरीकरण			
	स– ड्रेनेज निर्माण			
	द– अन्य			
	योग			
	3 पहुंच मार्ग (लम्बाई व चौड़ाई व सड़क निर्माण का स्वरूप)			
	अ– निकटवर्ती सार्वजनिक मार्ग से फैक्ट्री स्थल तक पहुंचने बनायी गयी सड़क पर किया गया व्यय			
	4 जल आपूर्ति निवेश (पाईप लाईन, ओव्हर हेड, टेंक, एनीकट / बोरवेल, तालाब आदि)			
3	अन्य–			
	1– गेस्ट हाउस			
	2– पूजा घर			
	3– कर्मचारी आवास			
	4– आवासीय मकान			
	5– बाउन्ड्रीवाल			
	6– पार्क			

स्थान :

दिनांक:

चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का नाम व पता

सील

हस्ताक्षर

सदस्यता क्रमांक

"उपाबंध 8"

(नियम 6.1 (10)

अघोसंरचना लागत –स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत व्ययों की सूची

<u>योजना का नाम</u>

निवेश / व्यय
शीर्ष...

	दिनांक	विक्रेता / भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम व पता	विवरण (जिस मद मे निवेश / व्यय किया गया है)	देयक क्रमांक	राशि

स्थान–
दिनांक–

हस्ताक्षर
आवेदक इकाई का नाम व पता
सील
स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक

स्थान–
दिनांक–

हस्ताक्षर
नाम व पता
सील
चार्टर्ड एकाउण्टेंट का पंजीयन क्रमांक व दिनांक

निरीक्षण कर्त्ता अधिकारी का नाम व पद

टीपः– 1– सूची तिथिवार व मदवार होना चाहिये ।
3– सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाये ।
4– प्रत्येक निवेश / व्यय शीर्ष हेतु पृथक–पृथक सूची प्रस्तुत की जावे– जैसे भूमि, भूमि विकास, भवन, यंत्र एवं मशीनरी आदि
5– सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेट के हस्ताक्षर युक्त हो ।

"उपाबंध–9"

(नियम 6.3)

अधोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश

उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य **अधोसंरचना सहायता अनुदान–स्थायी पूंजी अनुदान** नियम 2004 के नियम क्रमांक "6.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **अधोसंरचना लागत–स्थायी पूंजी अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन/ विस्तार) :

3– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

6– अनुमोदित अधोसंरचना लागत/ अनुमोदित सकल पूंजी निवेश –

7– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

8– यह राशि वित्तीय वर्ष– के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80)–सामान्य (800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना (सामान्य)
(9068)– औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान
13– आर्थिक सहायता
001– प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

या

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80)–सामान्य (800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना (सामान्य)
(5382)– अधोसंरचनात्मक सहायता अनुदान
14– आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान (आयोजना)
004– अधोसंरचना अनुदान (आयोजना)

यह स्वीकृति जिला / राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक.................. में लिये गये निर्णय के अनुरूप है

महाप्रबंधक /उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़

"उपाबंध 10"

(नियम 6.1 (15)

प्रांतीय वाणिज्यिक कर व केन्द्रीय विकय कर भुगतान बाबत प्रमाण पत्र

1– औद्योगिक इकाई .... .जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक................ है तथा प्रांतीय वाणिज्यिक पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक.............................. दिनांक........................ एवं केन्द्रीय विकय कर पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक .... है ने निम्नानुसार वाणिज्यिक कर /केन्द्रीय विकय कर राशि का भुगतान दिनांक................. से...................... तक वाणिज्यिक कर विभाग को किया है :

कमांक	विवरण	प्रांतीय वाणिज्यिक कर	केन्द्रीय विकय कर	योग
1	2	3	4	5
1	निर्मित उत्पाद पर			
2	कच्चेमाल पर			
3	आनुषांगिक माल पर			
4	राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल पर			
5	डीजल तथा पेट्रोल			
6	वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद			
7	अन्य			

2– यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की गयी वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विकय कर की राशि में राज्य में स्थिति केप्टिव क्वारी / माइनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल, वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की अनुसूची 3 में सम्मिलित उत्पाद एवं औद्योगिक इकाई के उद्योग में निर्मित माल / प्रयुक्त कच्चा माल व अन्य माल जिस पर औद्योगिक इकाई केता/ उपभोगता को दिये गये सेटऑफ / समायोजन एवं **(यदि वैट अधिनियम लागू होता है)** वैट स्कीम में समायोजन/ वापसी के दावों को कंम करते हुए कटौती के उपरांत राज्य में शुद्ध रूप से प्राप्त वाणिज्यिक कर राशि रू0 .... व केन्द्रीय विकय कर की राशि रू0................. है

3– औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को अन्य कोई देय राशियां भुगतान हेतु शेष नही है ।

वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम अधिकारी
वाणिज्यिक कर अधिकारी / उपायुक्त का नाम
पद व सील

"उपाबंध–11"

(नियम 6.3)

अधोसंरचना लागत – स्थायी पूंजी अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन)

उद्योग संचालनालय

यह प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अधीन पंजीयन क्रमांक...................... और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन पंजीयन क्रमांक .... तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से पंजीयन क्रमांक................/ उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक ....को धारण करने वाली औद्योगिक इकाई .... जिसने छत्तीसगढ़ के.................. जिले में .... (स्थान) पर स्थित नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना की है /विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है, और उक्त अधिसूचना के अधीन "अनुदान समायोजन पात्रता प्रमाण पत्र" दिनांक .... से .... तक प्राप्त करने के लिये पात्र है

2– नवीन औद्योगिक इकाई की मूल स्थापित क्षमता /विद्यमान औद्योगिक इकाई की विस्तारित स्थापित क्षमता निम्नानुसार है

1– ....

2– ....

3– ....

3– औद्योगिक इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक .... है तथा वाणिज्यिक उतपादन प्रारंभ करने के दिनांक तक अधोसंरचना लागत में रू0.............. अक्षरी रू0 .... एवं स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत रू0.................. अक्षरी रू0......................... का तथा कुल सकल पूंजी निवेश रू0 ....किया गया है

4– औद्योगिक इकाई को परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक................ तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से .... अवधि में किये गये अधोसंरचना लागत / स्थायी पूंजी निवेश पर .... प्रतिशत की दर से अथवा .... अवधि हेतु राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गयी प्रांतीय वाणिज्यिक कर की राशि एवं केन्द्रीय विक्रय कर की राशि जो न्यूनतम हो, के अर्न्तगत रू0 .... अक्षरी रू0.......................के अनुदान की पात्रता है

5– अधोसंरचना लागत– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान नियम क्रमांक .... के अधीन .... वर्षो में किया जाना है अतः निम्नानुसार स्वीकृत राशि के संबंध में अनुदान समायोजना पात्रता प्रमाण पत्र एतद द्वारा जारी किया जाता है

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	निवेश की मात्रा के आधार पर अनुदान	प्रांतीय वाणिज्यिक कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर भुगतान की राशि	स्वीकृत अनुदान

6– नवीन औद्योगिक इकाई / विद्यमान औद्योगिक इकाई में निम्न उत्पादों का विनिर्माण होगा ।

नाम वार्षिक उत्पादन क्षमता

1– प्रमुख उत्पाद ....

2– उपोत्पाद ....

3– अवशिष्ट उत्पाद....................................

यह प्रमाण पत्र वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक................................. दिनांक . ... के अनुकमांक............... में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तो के अध्ययीन है और उनके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लघंन होने की दशा में निरस्तीकरण किये जाने के भी अध्ययीन है ।

उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग
उद्योग संचायलनालय छत्तीसगढ़

"उपाबंध–12"
(नियम 4.1)
(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रकिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
(7) हालर मिल
(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राट को छोड़कर)
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रकिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

"उपाबंध–13"

(नियम 6.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला................................

छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता...
.... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना सहायता अनुदान–स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2004 .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..................... (अक्षरी)........................
.... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी / प्राधिकृत

प्रतिनिधि

सील

प्रति,

मेसर्स..

....

....

संशोधित

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर दिनांक 20 मार्च 2012

//संशोधन अधिसूचना//

क्रमांक एफ–20–95/2004/ग्यारह/(छ:) –चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ट–4 के "बिन्दु क्रमांक 2– अधोसंरचना लागत /स्थायी पूंजी निवेश अनुदान" में उपबिन्दु "ख" एवं "ग" में अधिकतम सीमा (मात्रा में) त्रुटिवश अंकित नहीं हो पायी थी एवं इस कारण "छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम – 2004" की कंडिका 5 – अनुदान की मात्रा के तालिका "ख" एवं "ग" में भी अधिकतम (मात्रा में) में अंकित नही हुई थी अब चूंकि औद्योगिक नीति 2004–09 में त्रुटि सुधार कर संशोधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

अतः इसके अनुपालन में "छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004" में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है :–

(1) समसंख्य अधिसूचना दिनांक 18–08–2005 की कंडिका 5 – की तालिका "ख" एवं "ग" में भी त्रुटि सुधार करते हुये तालिका "ख" एवं "ग" को संलग्न संशोधित तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) समसंख्य अधिसूचना दिनांक 18–08–2005 में अनुदान की राशि विभागीय बजट से दी जायेगी तथा अधिसूचना में जहाँ समायोजन/समायोजन प्रमाण–पत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है, को विलोपित किया जाता है।

(3) यह संशोधन अधिसूचना औद्योगिक नीति 2004–09 के लागू होने के दिनांक अर्थात 01 नवम्बर 2004 से प्रभावशील की जाती है।

उक्त संशोधित अधिसूचना वित्त विभाग के यू.ओ. नोट क्र.122/सी.एन./00001372 दिनांक 01/03/2012 के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई गयी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

C&I/OSD/D/Policy 2004-09/Ics subsidy

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठा.क्रमांक एफ–20–95 / 2004 / ग्यारह / (छै:)
प्रतिलिपि :–

रायपुर दिनांक 20

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
2. आयुक्त उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर को पालनार्थ
3. संयोजक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर को सूचनार्थ
4. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. पण्डरी, रायपुर को सूचनार्थ
5. मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .... (छत्तीसगढ़) को पालनार्थ

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

C&I/OSD/D/Policy 2004-09/Int subsidy

संशोधन तालिका

ख(1) – मध्यम–वृहद उद्योग

क्षेत्र	वर्ग	सामान्य उद्योग		विशेष थस्ट उद्योग	
		नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना	विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार	नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना	विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर–चांपा कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र	1–सामान्य 2–अनिवासी भारतीय–शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3–अनु. जाति – जनजाति वर्ग 4–अनु. जाति – जनजाति वर्ग (महिला)	औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित होने पर अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 90 लाख	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर विस्तार करने पर अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य- में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 90 लाख	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 110लाख	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर विस्तार करने पर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 110लाख
श्रेणी ब–अति पिछड़े / अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा, जशपुर बीजापुर व नारायणपुर	1–सामान्य 2–अनिवासी भारतीय–शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3–अनु. जाति – जनजाति वर्ग 4–अनु. जाति – जनजाति वर्ग (महिला)	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित होने पर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 100 लाख	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर विस्तार करने पर सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 100लाख	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 120लाख	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर / केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 120लाख

[illegible]SD/D/Policy 2004-09/Ics subsidy

[illegible]
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

Scanned with OKEN Scanner

ख(2) मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	वर्ग	सामान्य उद्योग		विशेष थ्रस्ट उद्योग	
		नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना	विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार	नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना	विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर–चांपा कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र	1–सामान्य - 2–अनिवासी - भारतीय–शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3–अनु. जाति – जनजाति वर्ग 4–अनु. जाति – जनजाति वर्ग (महिला)	औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित होने पर अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 300 लाख	औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित होने पर अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय, कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 300 लाख	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान, किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 350 लाख	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 350 लाख
श्रेणी ब–अति पिछड़े / अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर व नारायणपुर	1–सामान्य 2–अनिवासी भारतीय–शत प्रतिशत एफ डी आई. निवेशक, 3–अनु. जाति – जनजाति वर्ग 4–अनु. जाति – जनजाति वर्ग (महिला)	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 350 लाख	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 350 लाख	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 500 लाख	औद्योगिक क्षेत्र में/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रूपये 500 लाख

C&I/OSD/D/Policy 2004-09/Ics subsidy

(हस्ताक्षर)
.के. चक्रवर्ती
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
य एवं उद्योग विभाग

ग– अति वृहद उद्योग (नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना/विद्यमान औद्योगिक इकाईयों का विस्तार)

क्षेत्र	वर्ग	सामान्य उद्योग		विशेष थ्रस्ट उद्योग	
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर–चांपा कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र	1–सामान्य 2–अनिवासी भारतीय–शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3–अनु. जाति – जनजाति वर्ग 4–अनु. जाति – जनजाति वर्ग (महिला)	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 300लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 300लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350लाख
श्रेणी ब–अति पिछड़े / अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया,सरगुजा, जशपुर,बीजापुर व नारायणपुर	1–सामान्य 2–अनिवासी भारतीय–शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3–अनु. जाति – जनजाति वर्ग 4–अनु. जाति – जनजाति वर्ग (महिला)	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 500लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 500लाख

डी.के. छबलानी
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

I/OSD/D/Policy 2004-09/Ics subsidy

Scanned with OKEN Scanner